The Hindu plus Summary : 08.03.2024

मेन्स मास्टर

'नौकरी में महिलाओं की अधिक भागीदारी' का निर्धारक

संदर्भ

भारत की महिला श्रम बाजार भागीदारी दर जितनी हो सकती है, उससे काफी कम है। इस कम दर को देश की आर्थिक वृद्धि में बाधा के रूप में देखा जाता है। परंपरागत रूप से, महिलाओं से घर पर रहने और घर का प्रबंधन करने की अपेक्षा की जाती है, जबकि पुरुष मुख्य कमाने वाले होते हैं। यह सामाजिक अपेक्षा महिलाओं को करियर बनाने से हतोत्साहित करती है और उनके कौशल और क्षमता के कम उपयोग में योगदान देती है।

महिलाओं और अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता

एक मजबूत धारणा है कि कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा। यहाँ कारण बताया गया है:

* **बड़ा टैलेंट पूल:** उच्च महिला भागीदारी दर वाला अधिक विविध कार्यबल उपलब्ध प्रतिभा और कौशल के पूल का विस्तार करता है। व्यवसाय योग्य श्रमिकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अधिक नवाचार और उत्पादकता हो सकती है।

* **बढ़ी हुई उत्पादकता:** अध्ययनों से पता चलता है कि स्वस्थ लिंग संतुलन वाली कंपनियाँ बेहतर प्रदर्शन करती हैं। महिलाएँ समस्या-समाधान के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण और दृष्टिकोण लाती हैं, रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं और बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाती हैं।

* **कौशल अंतर को पाटना:** महिलाओं के पास विशिष्ट कौशल और अनुभव हो सकते हैं जिनका वर्तमान में कम उपयोग किया जाता है। भागीदारी में वृद्धि से कंपनियों को इस अप्रयुक्त क्षमता से लाभ उठाने और संभावित रूप से मौजूदा कौशल अंतराल को भरने में मदद मिलती है।

* **घरेलू आय में वृद्धि:** जब महिलाएँ कार्यबल में प्रवेश करती हैं और आय अर्जित करती हैं, तो इससे समग्र घरेलू आय में वृद्धि होती है। इसका अर्थ है क्रय शक्ति में वृद्धि, जो विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करती है।

* **जीवन स्तर में सुधार:** उच्च घरेलू आय के साथ, परिवार बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश कर सकते हैं। इससे जीवन स्तर में वृद्धि होती है और आबादी स्वस्थ होती है।

* **जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत में कामकाजी आयु की आबादी बढ़ रही है। एक बड़ा महिला कार्यबल लंबी अवधि में अधिक कुशल और शिक्षित श्रम शक्ति सुनिश्चित कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका के लिए चुनौतियाँ

संभावित लाभों के बावजूद, कई चुनौतियाँ महिलाओं को कार्यबल में पूरी तरह से भाग लेने से रोकती हैं:

* **पितृसत्ता:** पुरुष वर्चस्व को प्राथमिकता देने वाली गहरी सामाजिक संरचना महिलाओं को करियर बनाने से हतोत्साहित करती है। पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ महिलाओं से घर का प्रबंधन करने और पेशेवर महत्वाकांक्षाओं पर पारिवारिक ज़रूरतों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा करती हैं।

* **अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था:** घर के काम, बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल का बोझ महिलाओं पर असमान रूप से पड़ता है। इससे उनके पास भुगतान किए गए काम के लिए उपलब्ध समय और ऊर्जा में काफी कमी आती है। अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था के भीतर विशिष्ट चुनौतियों का विवरण इस प्रकार है:

  ◦ **समय की कमी:** घर के काम और बच्चों की देखभाल में बहुत समय लगता है, जिससे महिलाओं के पास पेशेवर गतिविधियों के लिए कम समय बचता है।

  ◦ **अप्रत्याशित शेड्यूल:** आम दफ़्तर की नौकरियों के विपरीत, देखभाल की मांग अप्रत्याशित होती है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुज़ुर्ग माता-पिता को सहायता की ज़रूरत होती है, और घर में अप्रत्याशित रूप से आपात स्थिति पैदा हो जाती है। एक निश्चित शेड्यूल की कमी के कारण महिलाओं के लिए लगातार काम के घंटे तय करना मुश्किल हो जाता है।

  ◦ **बर्नआउट और थकावट:** अवैतनिक देखभाल कार्य की निरंतर मांग बर्नआउट और थकावट का कारण बन सकती है, जिससे महिलाएं अतिरिक्त भुगतान किए गए काम करने के लिए कम प्रेरित होती हैं।

  ◦ **सीमित कौशल विकास:** अवैतनिक देखभाल कार्य शायद ही कभी भुगतान किए गए कार्यबल में मूल्यवान कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण लंबी अनुपस्थिति के बाद महिलाओं को प्रासंगिक नौकरी पाने में संघर्ष करना पड़ सकता है।

* **सामाजिक कलंक:** सामाजिक अपेक्षाएँ महिलाओं पर करियर की तुलना में घरेलू कामों को प्राथमिकता देने का दबाव डाल सकती हैं। जो महिलाएँ करियर को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनती हैं, उन्हें अपने परिवारों की उपेक्षा करने के लिए आलोचना या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।

* **विवाह प्रतिबंध:** यह भेदभावपूर्ण प्रथा कुछ कार्यस्थलों पर मौजूद है, जहाँ विवाहित महिलाओं को काम करने से हतोत्साहित किया जाता है या विवाह के बाद उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है। यह पुरानी धारणा मानती है कि एक विवाहित महिला की प्राथमिक जिम्मेदारी उसके परिवार के प्रति होती है, जो उनके करियर की प्रगति में बाधा डालती है।

* **कांच की छत:** अदृश्य बाधाएँ महिलाओं को उनके करियर में शीर्ष पदों तक पहुँचने से रोकती हैं। महिलाओं को सूक्ष्म पूर्वाग्रहों, पुरुष सहकर्मियों की तुलना में मेंटरशिप के अवसरों की कमी और पदोन्नति के असमान अवसरों का सामना करना पड़ सकता है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि नेतृत्व की भूमिकाएँ मुख्य रूप से पुरुषों के लिए हैं।

आगे का रास्ता

इन चुनौतियों से पार पाने और भारत की महिला कार्यबल की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए, कई समाधान मौजूद हैं:

* **अवैतनिक देखभाल के बोझ को कम करें:**

  ◦ **घर के काम को हल्का करें:** तकनीकी प्रगति (जैसे, कुशल स्टोव) और बुनियादी ढाँचे में सुधार (जैसे, पानी की पहुँच) घरेलू कामों के लिए आवश्यक समय और प्रयास को काफी कम कर सकते हैं।

  ◦ **देखभाल में बदलाव:** सुलभ बाल देखभाल केंद्रों और बुजुर्गों की देखभाल सुविधाओं के माध्यम से कुछ देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों (जैसे, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल) को औपचारिक अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने से महिलाओं के पास भुगतान वाले काम के लिए समय बच सकता है।

  ◦ **साझा जिम्मेदारियाँ:** इस विचार को खत्म करके कि घर का काम सिर्फ महिलाओं का काम है, पुरुषों को घरेलू ज़िम्मेदारियाँ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना घरों के भीतर श्रम का अधिक न्यायसंगत वितरण बना सकता है।

* **काम में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:**

  ◦ **शिक्षा और कौशल विकास:** महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच बढ़ाना उन्हें उच्च-भुगतान वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस कर सकता है।

  ◦ **कलंक को चुनौती दें:** जागरूकता अभियान और विधायी परिवर्तन सामाजिक कलंक और विवाह पर रोक जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संबोधित कर सकते हैं, और अधिक समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

* **कांच की छत को तोड़ना:** कंपनियों के भीतर विविधता की पहल को लागू करने से इन अदृश्य बाधाओं को खत्म करने में मदद मिल सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
  ◦ **मेंटरशिप प्रोग्राम:** महिलाओं को अनुभवी पेशेवरों, पुरुष और महिला दोनों से जोड़ना, कैरियर में उन्नति के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकता है।
  ◦ **उचित पदोन्नति नीतियाँ:** लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति के लिए स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानदंड सुनिश्चित करना महिलाओं के लिए समान अवसर पैदा कर सकता है।
  ◦ **लचीली कार्य व्यवस्थाएँ:** अंशकालिक कार्यक्रम या दूरस्थ कार्य के अवसरों जैसे लचीले कार्य विकल्पों की पेशकश महिलाओं की देखभाल की ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकती है और उन्हें बेहतर कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने की अनुमति दे सकती है।
  ◦ **अचेतन पूर्वाग्रह प्रशिक्षण:** अचेतन पूर्वाग्रह के बारे में प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षित करने से लिंग-आधारित धारणाओं की पहचान करने और उन्हें खत्म करने में मदद मिल सकती है जो महिलाओं के करियर की प्रगति में बाधा बन सकती हैं।

कुल मिलाकर, एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जो महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है और कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, भारत की महिला कार्यबल की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और उनकी भागीदारी के आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अशांत पानी

संदर्भ: दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव बहुत अधिक है, हाल ही में पुनः आपूर्ति मिशनों को अवरुद्ध करने और अवैध कार्यों के आरोपों से संबंधित घटनाएं हुई हैं।

पृष्ठभूमि:

• **चीन के विस्तृत दावे:** चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है, जिसे उसके नक्शे पर नौ-डैश लाइन द्वारा चिह्नित किया गया है। इस विस्तृत दावे में वे क्षेत्र और विशेषताएँ शामिल हैं, जिन पर समुद्र की सीमा से लगे अन्य देश भी दावा करते हैं।

• **फिलीपींस का पिछला दृष्टिकोण:** पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्टे के नेतृत्व में फिलीपींस ने अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसी के साथ तनाव को बढ़ाने से बचने के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपनाया। इसमें विवादों को कम करके आंकना और चीन के साथ आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता देना शामिल था।

दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है?

• **अतिव्यापी क्षेत्रीय दावे:** दक्षिण चीन सागर की सीमा से लगे कई देशों के द्वीपों, चट्टानों और आसपास के जल पर अतिव्यापी क्षेत्रीय दावे हैं। इनमें फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान शामिल हैं, जो सभी चीन के विस्तृत दावों का विरोध करते हैं।

• **सामरिक महत्व:** दक्षिण चीन सागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इस क्षेत्र से हर साल खरबों डॉलर का माल भेजा जाता है। यह मछली और संभावित तेल और गैस भंडार जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध माना जाता है, जो इसे सभी संबंधित देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

2016 के पीसीए फैसले का महत्व:

• **फिलीपींस की कानूनी जीत:** 2016 में, फिलीपींस ने चीन के दावों के खिलाफ अपना मामला हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) में लाया। पीसीए ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें चीन के व्यापक दावों का कोई कानूनी आधार नहीं होने और फिलीपींस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) का उल्लंघन करने की घोषणा की गई।

• **चीन की अवहेलना:** अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बावजूद, चीन ने इसे स्वीकार करने या इसका पालन करने से इनकार कर दिया है। इसने क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति चीन की अवहेलना के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

फिलीपींस का बदलता रुख - अमेरिका से बढ़ती निकटता:

• **नया फिलीपीन नेतृत्व:** जून 2022 में राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के चुनाव ने फिलीपींस के दृष्टिकोण में बदलाव को चिह्नित किया। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने दक्षिण चीन सागर विवादों पर अधिक मुखर रुख अपनाया है।

• अमेरिका-फिलीपींस सैन्य संबंधों को मजबूत किया: फिलीपींस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने सैन्य सहयोग को बढ़ाया है। इसमें अमेरिकी सेना को नौ फिलीपीन सैन्य ठिकानों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, फिलीपींस ने 2022 में अमेरिका के साथ अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। इस बढ़ते सैन्य सहयोग को चीन इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व के लिए एक चुनौती के रूप में देखता है।

भविष्य की ओर देखना:

• **संवाद की आवश्यकता:** लेखक का तर्क है कि चीन की आक्रामक कार्रवाइयाँ, जिसमें पुनः आपूर्ति मिशनों को अवरुद्ध करना और अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों की अवहेलना करना शामिल है, उसके पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा नहीं दे रही हैं।

• **सहयोग का आह्वान:** लेखक चीन से संवाद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर केंद्रित अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करता है। दक्षिण चीन सागर, एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य दावेदार देशों के साथ खुला संचार और सहयोग महत्वपूर्ण है।

एक फिसलन भरी ढलान

संदर्भ:

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। न्यायालय ने बाघ सफारी परियोजना का विस्तार करने के लिए लगभग 6,000 पेड़ों की कटाई की निंदा की।

• न्यायालय के निर्णय ने सफारी के दायरे को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए वन अधिकारियों और एक राजनेता के बीच मिलीभगत को उजागर किया, जो उचित संरक्षण प्रथाओं की उपेक्षा को उजागर करता है।

पृष्ठभूमि:

• यह मामला बाघ सफारी जैसी पर्यटन गतिविधियों को महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ संतुलित करने के लिए चल रहे संघर्ष को प्रकाश में लाता है। इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए सही संतुलन खोजना आवश्यक है।

संरक्षण बनाम पर्यटन: तर्कों का मूल्यांकन

• **उचित दिशा-निर्देशों के साथ सफारी के लिए तर्क:**

◦ **कोर ज़ोन की सुरक्षा:** जब निर्दिष्ट क्षेत्रों में जिम्मेदारी से और सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया जाता है, तो सफारी वास्तव में पर्यटकों का ध्यान जंगल के सबसे संवेदनशील, मुख्य क्षेत्रों से हटा सकती है। यह इन महत्वपूर्ण आवासों की अप्रभावित प्रकृति को बनाए रखने में मदद करता है।

◦ **जन जागरूकता बढ़ाना:** अच्छी तरह से प्रबंधित सफारी संरक्षण प्रयासों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। जो पर्यटक वन्यजीवों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वे इन जानवरों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए वकालत करने की अधिक संभावना रखते हैं।

◦ **आर्थिक लाभ:** सफारी के माध्यम से उत्पन्न पर्यटन वन्यजीव पार्कों की सीमा पर स्थित स्थानीय समुदायों को बहुत जरूरी राजस्व ला सकता है। इस राजस्व का उपयोग संरक्षण पहलों, बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जा सकता है। यह स्थानीय समुदायों के बीच पार्क की भलाई में स्वामित्व और निवेश की भावना को बढ़ावा देता है।

• **अनियंत्रित पर्यटन के बारे में चिंताएँ:**

◦ **आवास व्यवधान:** अत्यधिक शोर, ऑफ-रोड ड्राइविंग और अनियमित पर्यटक व्यवहार के साथ खराब तरीके से प्रबंधित सफारी वन्यजीव आवासों को बाधित कर सकती है और जानवरों के व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इससे तनाव, विस्थापन और यहां तक कि वन्यजीव आबादी के लिए खतरा भी हो सकता है।

◦ **राजनीतिक हस्तक्षेप:** जैसा कि कॉर्बेट पार्क मामले में देखा गया है, राजनीतिक भ्रष्टाचार संरक्षण प्रयासों पर वाणिज्यिक पर्यटन को प्राथमिकता देने का कारण बन सकता है। राजनेता और व्यवसाय पर्यटन गतिविधियों को संधारणीय सीमाओं से परे विस्तारित करने के लिए दबाव डालते हुए अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे अंततः उस वन्यजीव को नुकसान पहुँच सकता है जिसे वे प्रदर्शित करने का दावा करते हैं।

संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:

• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाघ संरक्षण को प्राथमिकता देने के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देता है। बाघ कीस्टोन प्रजातियाँ हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी उपस्थिति पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाघों की सुरक्षा से अनगिनत अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों की भलाई सुनिश्चित होती है।

• वन्यजीव सफ़ारी, यदि आयोजित की जाती हैं, तो वाणिज्यिक पर्यटन की तुलना में इको-टूरिज्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इको-टूरिज्म जिम्मेदार यात्रा पर केंद्रित है जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करता है।

बफ़र ज़ोन: सामान्य आधार ढूँढना

• बफ़र ज़ोन राष्ट्रीय उद्यानों के आस-पास के निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जो मुख्य वन्यजीव आवासों और मानव गतिविधि के बीच एक बफर के रूप में काम कर सकते हैं। इन ज़ोन का उपयोग सीमित वाहन सफ़ारी, प्रकृति की सैर और शैक्षिक केंद्रों जैसी नियंत्रित पर्यटन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

• बफ़र ज़ोन स्थापित करने से पार्क के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गड़बड़ी को कम करते हुए कुछ हद तक पर्यटन की अनुमति मिलती है। इससे एक महत्वपूर्ण बफर बनता है, जो मुख्य वन्यजीव आवासों की सुरक्षा करता है और जानवरों को प्राकृतिक व्यवहार बनाए रखने की अनुमति देता है।

आगे का रास्ता: एक स्थायी पाठ्यक्रम तैयार करना

• सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश कि केंद्र सरकार सफारी आयोजित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करे, एक महत्वपूर्ण कदम है। इन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए:

◦ प्रत्येक सफारी में अनुमत वाहनों और आगंतुकों की अधिकतम संख्या
◦ पार्क के भीतर निर्दिष्ट मार्ग और प्रतिबंधित क्षेत्र
◦ ध्वनि प्रदूषण की सीमाएँ और जिम्मेदार आगंतुक व्यवहार
◦ जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सफारी गाइडों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन
◦ सफारी से प्राप्त राजस्व को संरक्षण प्रयासों की ओर निर्देशित किया जा रहा है

• वन्यजीव पार्कों में पर्यटन को बढ़ावा देते समय सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। संदेश स्पष्ट होना चाहिए: संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है, और पर्यटन गतिविधियों को इस तरह से संचालित किया जाना चाहिए जो इस महत्वपूर्ण लक्ष्य का समर्थन करे, न कि उसे कमजोर करे। वन्यजीव आबादी और उन पारिस्थितिकी प्रणालियों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार पर्यटन और प्रभावी संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, जिन पर वे निर्भर हैं।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org

प्रीलिम्स बूस्टर

केंद्र सरकार 80 दूरदराज के आदिवासी गांवों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए इसरो की मदद लेगी

- 🛰️ जनजातीय मामलों का मंत्रालय झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के लगभग 80 दूरदराज के आदिवासी गांवों में वी-सैट स्टेशनों को लागू करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ एक रणनीतिक सहयोग की योजना बना रहा है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य इन वंचित समुदायों को आवश्यक इंटरनेट सेवाएं, चिकित्सा संपर्क और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना है, जिससे डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके और आदिवासी आबादी को सशक्त बनाया जा सके।
- 🌐 यह परियोजना भौगोलिक चुनौतियों और कठिन इलाकों को दूर करने के लिए बनाई गई है, जो ऐतिहासिक रूप से इन दूरदराज के गांवों में कनेक्टिविटी में बाधा डालते हैं। वी-सैट तकनीक का लाभ उठाकर, सरकार का लक्ष्य एक विश्वसनीय संचार बुनियादी ढांचा स्थापित करना है जो ई-गवर्नेंस पहलों का समर्थन कर सके और इन हाशिए के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच बढ़ा सके। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता अन्य राज्यों में समान आदिवासी क्षेत्रों में संभावित विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे व्यापक कवरेज और प्रभाव सुनिश्चित होगा इसके अतिरिक्त, आदिवासी समुदायों में कार्यरत स्वास्थ्य पेशेवरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजनाएँ चल रही हैं, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण और परिणामों में सुधार करना है।
- 🎓 उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के लिए समर्पित विभाग स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोलकाता जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी की जा रही है। ये पहल आदिवासी आबादी को उनके समुदायों के भीतर सतत विकास, आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और संसाधनों से लैस करना चाहती हैं।
- 🧪 इसके अलावा, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव आदिवासी छात्रों को सेमीकंडक्टर पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली एक विशेष प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुँच प्रदान करना है

उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA)

- ✈️ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने भारत के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के विकास को मंजूरी दे दी है, जिसका नेतृत्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) करेगा।
- 🛡️ AMCA को 25 टन के ट्विन-इंजन स्टील्थ एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आंतरिक हथियार बे और डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक की सुविधा है, जो भारत में इस तरह की उन्नत क्षमताओं का पहला स्वदेशी विकास है।
- 🇮🇳 परियोजना के लिए नामित उत्पादन एजेंसी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने विनिर्माण गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं, जो इस अत्याधुनिक लड़ाकू जेट के निर्माण की दिशा में प्रगति का संकेत है।
- 🛰️ पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान दुनिया भर में सबसे उन्नत परिचालन विमान हैं, जिन्हें चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बाद विकसित किया गया है, जिसमें 21वीं सदी की शुरुआत की अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है।
- 🛡️ पांचवीं पीढ़ी के विमानों की प्रमुख विशेषताओं में चुपके क्षमताएं शामिल हैं, जो उन्हें रडार का पता लगाने से बचने और दुश्मन के हवाई क्षेत्र में आश्चर्यजनक हमले करने में सक्षम बनाती हैं।
- ✈️ सुपरक्रूज़ क्षमता इन जेट विमानों को आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की अनुमति देती है, जिससे मिशन के दौरान ईंधन दक्षता और धीरज बढ़ता है।
- 🎮 उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम पायलटों को बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता और लक्ष्यीकरण क्षमताएं प्रदान करते हैं, जबकि सेंसर फ़्यूज़न तकनीक व्यापक युद्धक्षेत्र दृश्य के लिए विभिन्न सेंसर से डेटा को एकीकृत करती है।
- 🚀 उच्च गतिशीलता पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नज़दीकी लड़ाई में शामिल होने और दुश्मन के खतरों से प्रभावी ढंग से बचने में सक्षम बनाती है।
- 🌍 वर्तमान में, परिचालन पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कुछ देशों द्वारा तैनात किए गए हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका (F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II), चीन (चेंगदू J-20), और रूस (सुखोई Su-57) शामिल हैं।

गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर मुक्त भविष्य की ओर एक साहसिक कदम

- 🩺 भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 ने नौ से 14 वर्ष की लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के खिलाफ टीकाकरण का समर्थन करके महिला स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो इस प्रचलित बीमारी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित है।
- 🎯 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित '90-70-90' लक्ष्यों का उद्देश्य 2030 तक उच्च टीकाकरण दर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच और उपचार कवरेज हासिल करना है, जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के उन्मूलन में एचपीवी टीकाकरण के महत्व पर जोर देता है।
- 🌍 वैश्विक स्तर पर, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और रवांडा जैसे देशों में सफल एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रमों ने गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की घटनाओं में गिरावट का प्रदर्शन किया है, जो रोग की रोकथाम में टीकाकरण को प्राथमिकता देने की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।
- 🏞️ सिक्किम का एचपीवी टीकाकरण के लिए अनुकरणीय दृष्टिकोण, मजबूत संचार रणनीतियों के माध्यम से 97% कवरेज प्राप्त करना, प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल और सामुदायिक जुड़ाव के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
- 💉 भारत द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से स्वदेशी क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन, सर्वावैक का विकास, एचपीवी संक्रमण और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से निपटने के लिए एक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है, जिससे पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि होती है।
- 🚀 टीकाकरण अभियानों में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड, जिसका उदाहरण कोविड-19 वैक्सीन का सफल रोलआउट है, एचपीवी टीकाकरण प्रयासों को बढ़ाने और दूरदराज की आबादी तक पहुंचने, समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित करने में विश्वास पैदा करता है।
- 🌟 वैक्सीन हिचकिचाहट जैसी चुनौतियों पर काबू पाने और एचपीवी टीकाकरण तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समुदायों को शामिल करने, गलत सूचनाओं को दूर करने और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सामुदायिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया है।

भारत का समुद्री विकास कोष वर्ष के अंत तक संभव

- 🚢 भारत के प्रस्तावित समुद्री विकास कोष का उद्देश्य स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक, कम लागत वाली वित्तीय सहायता प्रदान करना है और उद्योग हितधारकों, वित्तीय संस्थानों और मंत्रालयों की भागीदारी के साथ वर्ष के अंत तक चालू होने की उम्मीद है।
- 💰 वर्तमान में चर्चा में चल रहे इस फंड को एक विकास वित्त संस्थान के तहत एक समर्पित समुद्री वर्टिकल के रूप में या बहु-एजेंसी इक्विटी वाली एक स्टैंडअलोन कंपनी के रूप में संरचित किया जा सकता है, जो जहाज निर्माण, फ्लैगिंग, स्वामित्व वित्तपोषण और पट्टे पर भारत के वार्षिक खर्च को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- 🌊 फंड के उद्देश्यों में दुनिया के टन भार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पहलों के माध्यम से बंदरगाह मशीनीकरण और क्षमता विस्तार को बढ़ाना शामिल है।
- 💸 सात वर्षों में ₹25,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ, यह निधि भारतीय शिपिंग कंपनियों द्वारा जहाज अधिग्रहण और विस्तार के लिए दीर्घकालिक, कम लागत वाले वित्त तक पहुँचने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए ऋण, इक्विटी, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) और खरीदार ऋण सहायता जैसे विभिन्न वित्तपोषण तंत्रों का उपयोग करेगी।
- 🏗️ भारत में समुद्री उद्योग के विकास और स्थिरता का समर्थन करने के मंत्रालय के लक्ष्य के साथ संरेखित करते हुए, दीर्घकालिक, कम लागत वाले फंड तक पहुँच की सुविधा के लिए शिपिंग क्षेत्र के लिए 'बुनियादी ढांचे' का दर्जा हासिल करने के प्रयास चल रहे हैं।

कैबिनेट ने एआई कोष के लिए 10,372 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

- 💡 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स का समर्थन करने के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है, जो डेटा सेंटर और संबंधित सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि और सब्सिडी प्रदान करता है।
- 🚀 इस कोष का उद्देश्य विशेष रूप से सरकारी उपयोग के लिए एआई में नवाचार और अनुप्रयोग विकास को बढ़ावा देना है, जो एआई पहलों में केंद्र द्वारा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष निवेश है और भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और असेंबली क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों का पूरक है।
- 🤖 पिछले साल स्थापित भारत एआई मिशन के माध्यम से वितरित, यह कोष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति और समावेश को मजबूत करने के लिए तैयार है, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से ग्राफिक्स प्रोसेसर इकाइयों का उत्पादन करने की योजना है, जैसा कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उजागर किया है।